संख्या- 22/2016/153/22-4-16-22/99

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 10 मार्च, 2016

विषय-जिला कारागार, सोनभद्र एवं बागपत के लिए एक-एक नग बोलेरो, एक-एक नग एम्बुलेंस एवं 06 कारागारों हेतु दो-दो नग मोटर साइकिल के क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2857/नजारत-4/60/वा0क्र0/2015, दिनांक-29 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला कारागार, सोनभद्र एवं बागपत के उपयोगार्थ 02 नग बोलेरो एलएक्स 02 डब्लू बीएस-4 एनएसी जीप के क्रय हेतु रू0 11,71,990/- एवं 02 नग टाटा सूमों एम्बुलेंस ईजीआर डब्लूबी 2400 एमएम बीएस-3 एम्बुलेंस हेतु रू0 10,42,466/- कुल 04 नग नये वाहनों के क्रय किये जाने हेतु रू0 22,14,456/-(रूपया बाइस लाख चौदह हजार चार सौ छप्पन मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वाहनों का क्रय डी0जी0एस0एन0डी0 दरों पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। उक्त् वाहन यदि डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर पर उपलब्ध नहीं होंगे तो वाहनों का क्रय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार/डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा मोटर वाहनों की कीमत/दरों में किसी आदेश द्वारा कमी या संशोधन किया जाता है तो तदनुसार कम संशोधित दरों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करने हेतु धनराशि आहरित की जायेगी।

(3) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) प्रश्नगत वाहनों का क्रय समस्त सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रिया का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा एवं क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त शर्तों का अनुपालन महानिरीक्षक कारागार एवं कारागार मुख्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे और इन शर्तों में किसी प्रकार के विचलन के वे उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) वाहनों के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-14- मोटर गाडियों का क्रय" मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई0-12-187/दस/2016, दिनांक 08 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-22/2016/153(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र ख्रे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।